

23

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 6/09/2021

क्रमांक 1732/2666/2021/38/1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा श्री अनूप तिवारी, सहायक प्राध्यापक, गणित, शासकीय विक्रम महाविद्यालय, खाचरौद, जिला उज्जैन को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के नियम-42 के उपनियम (1) खण्ड (ए) के अधीन उनके स्वयं के आवेदन पर दिनांक 30.09.2021 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

6/09/21
(श्वेता पवार)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 6/09/2021

पृ.क्रमांक 1732/2666/2021/38/1

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, म.प्र.
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
3. महालेखाकार, म.प्र., ग्वालियर,
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुडा भवन, भोपाल,
5. जिला कोषालय अधिकारी, उज्जैन,
6. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, उज्जैन,
7. प्राचार्य, शासकीय विक्रम महाविद्यालय, खाचरौद, जिला उज्जैन,
8. संबंधित डॉ श्री अनूप तिवारी, सहायक प्राध्यापक, गणित, शासकीय विक्रम महाविद्यालय, खाचरौद, जिला उज्जैन,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

6/09/21

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग